समाहरणालय, लखीसराय
(जिला गोपनीय शाखा)
संयुक्त आदेश

लॉक डाउन
16.07.2020 To 31.07.2020

बिहार राज्य में पिछले तीन सप्ताह में COVID-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण के दर में खतरनाक रूप से बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार द्वारा इसकी वृहद रूप से समीक्षा की गयी एवं COVID-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक रूप से लॉकडाउन लगाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र संख्या–40-03/2020-DM-01(A) दिनांक–29.06.2020 के अनुसार राज्य सरकार स्थिति का आकलन कर Containment zone के बाहर सेवाओं को सीमिति करने एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंध लागू कर सकती है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश एवं प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार से प्राप्त निदेशानुसार दिनांक–16.07.2020 से 31.07.2020 (16 दिनों के लिए) तक के लिए जिला मुख्यालय/अनुमंडल मुख्यालय/प्रखंड मुख्यालय/सभी नगर निकाय क्षेत्रों/सभी हाट बाजार यथा : मननपुर बाजार/पीरीबाजार/कजरा/मेदनीचौकी/तेतरहट बाजार आदि के लिए निम्न प्रकार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. भारत सरकार के कार्यालय एवं इसके स्वायत्त कार्यालय (Autonomous bodies) /अधीनस्थ कार्यालय (Subordinate office) एवं पब्लिक कॉर्पोरेशन बन्द रहेंगे।

अपवाद :–

सुरक्षा, केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल, कोषांगार, लोक उपयोगी (पेट्रोलियम, सी0एन0जी0, एल0पी0जी0, पी0एन0जी0) आपदा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन (Power Generation) एवं ट्रांसमिशन यूनिट, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर (NIC), पूर्व चेतावनी देने वाली एजेंसियाँ।

2.राज्य सरकार एवं इसके स्वायत्त कार्यालय (Autonomous bodies) कॉर्पोरेशन इत्यादि बन्द रहेंगे।

अपवाद :–

(A) पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन एवं कारा

(B) जिला प्रशासन एवं कोषागार आई0टी0 सर्विसेज के साथ/बेल्ट्रॉन के माध्यम से होने वाले विडियो कॉन्फ्रेंसिंग।

(C) बिजली, जलापूर्ति, सेनिटेशन, स्वास्थ्य, फूड एवं सिविल सप्लाईज, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन।

(D) नगर पालिका के संकाय (Municiple bodies)

(E) वन विभाग के कार्यालय–जू (चिड़ियाघर) की देखमाल एवं संचालन करने वाले कर्मचारी, नर्सरी, पार्क, वृक्षारोपण, जंगलों में अग्निशमन, वन्य जीव बचाव(मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने सहित) पौधो की सिंचाई, अभ्यारणय की सुरक्षा एवं संरक्षा (टाईगर रिजर्व सहित) प्रदूषण निगरानी स्टेशन का संचालन एवं इससे संबंधित क्षेत्र एवं मुख्यालय।

(F) समाज कल्याण के कार्यालय संचालन के लिए आवश्यक कर्मचारी :– (1) Juvinile Justice Act के तहत बाल सेवा से संबंधित संस्थान वृद्धाश्रम, महिलाओं के लिए आश्रय स्थल, निःसहाय एवं दिव्यांगजन की देखमाल एवं संचालन करने वाले कर्मचारीगण (2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करने वाले (3) सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित कार्यालय एवं मुख्यालय।

उपरोक्त (क्रमांक–01 एवं 02 के अपवाद में अंकित) कार्यालय, न्यूनतम कर्मियों/33 प्रतिशत कार्यबल के साथ कार्यरत रहेंगे। संबंधित कार्यालय प्रमुख सरकारी काम–काज के आवश्यक प्रकृति को देखते हुए निर्णय लेकर सूचित करेंगे। अन्य सभी कार्यालय आवश्यकतानुसार Work from home से काम जारी रख सकते है।

3. सभी पब्लिक एवं प्राईवेट सेक्टर के अस्पताल एवं अन्य सभी चिकित्सा प्रतिष्ठान, उनके विनिर्माण एवं वितरण इकाईयाँ जैसेः– डिस्पेंसरिज, केमिस्ट एवं चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएँ, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि क्रियाशील बनी रहेगी। चिकित्सक, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ

Scanned with CamScanner

एवं अस्पताल की अन्य सहायक सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी। यह प्रावधान पशु चिकित्सा सेवाओं और प्रतिष्ठानों पर भी लागू रहेगा।

4. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।

अपवाद :–

(A) राशन की दुकान (पी0डी0एस0 सहित) खाद्य से संबंधित, किराने के समान, फल और सब्जियाँ, डेयरी एवं दूध के बूथ, मॉस एवं मछली, पशु चारा, कृषि उत्पादन, कीटनाशक, उर्वरक तथा पटवन सामग्री की दुकानें। हालॉकि इन सभी की होम डिलिवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि लोगों के घर से बाहर आवाजाही को न्यूनतम किया जा सके। ये सभी प्रतिष्ठान समय पूर्वा0 06:00 बजे से 11:00 बजे पूर्वा0 एवं संध्या में 03:00 बजे से 06:00 बजे संध्या तक खुलेंगे तथा सुधा डेयरी 08:00 बजे संध्या तक खुलेंगे।

(B) बैंक, बीमा कार्यालय एवं सभी बैंको के ए0टी0एम0 (ATM), कैश मैनेजमेंट आई0टी0 सेवाओं सहित।

(C) प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मिडिया।

(D) दूरसंचार, इन्टरनेट सेवाएँ, प्रसारण और केवल सेवाएँ। आई0टी0 और आई0टी0 से संबंधित सेवाएँ (केवल आवश्यक सेवाओं के लिए) और जहाँ तक संभव हो **Work from home** को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(E) ई–कॉमर्स (सभी प्रकार के समानों के लिए)।

(F) पेट्रॉल पम्प/एल0पी0जी0 पेट्रोलियम और खुदरा गैस तथा भंडारण आउटलेट।

(G) बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयॉ एवं सेवाएँ।

(H) पूँजी और ऋण बाजार सेवाएँ सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित सेवाएँ।

(I) कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सेवाएँ।

(J) निजी सुरक्षा सेवाएँ।

(K) अतिथि सत्कार सेवाएँ (होटल/मोटल/लॉज सहित)।

रेस्टोरेन्ट, ढाबा, भोजनालयों को केवल होम डिलिवरी/**Take Away Service** हेतु खोलने की अनुमति होगीं।

(L) मरम्मत और रख–रखाव गतिविधियॉं, गैराज, मोबाईल मरम्मति, मरम्मत और रख–रखाव से संबंधित दुकानों की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जायेगी। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को प्राधिकृत किया जाता है।

अन्य सभी प्रतिष्ठान **Work from home** कार्य कर सकेंगे।

5. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कोविड–19 वायरस संक्रमण से बचाव हेतु बरती जाने वाली सुरक्षात्मक कदम, सामाजिक दूरी को अपनाने वाली कदमों के साथ अनुमति दी जायेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा–निदेश का पालन किया जायेगा।

6. सभी प्रकार की परिवहन सेवाएँ निलंबित रहेगी।

अपवाद :–

(A) नागरिक उडयन मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार रेलवे एवं वायु परिवहन क्रियाशील रहेंगे।

(B) टैक्सी, ऑटो रिक्शा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान, यात्रियों को यात्रा का प्रयोजन/औचित्य बताना होगा तथा इसके लिए वांछित आवश्यक कागजात दिखाने होंगे। यात्रा के दौरान यात्रियों को निश्चित रूप से मास्क के उपयोग के साथ–साथ सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना अनिवार्य होगा तथा इसके अनुपालन की जिम्मेवारी टैक्सी/ऑटो रिक्शा चालक के साथ–साथ यात्रियों की होगी।

(C) इस आदेश में उल्लेखित सभी अनुमान्य गतिविधियों के लिए निजी वाहनों की अनुमति होगी। सभी यात्रा करने वाले व्यक्तियों को यात्रा का प्रायोजन बताना होगा। अनावश्यक यात्रा करते हुए पाये जाने पर उनके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–188 के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा–51 से 60 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

(D) बिना किसी बाधा के माल के परिवहन की अनुमति होगी। गोदामों में सामानों की लोडिंग एवं अनलोडिंग की अनुमति होगी। कार्य के दौरान मास्क, सेनिटाईजर एवं सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कराने की जिम्मेवारी संबंधित प्रतिष्ठान की होगी।

Scanned with CamScanner

(E) सभी सरकारी वाहन एवं सरकारी कर्मी को ले जाने वाले प्राईवेट वाहन को उनके कार्यालय के आई0 कार्ड पर आने–जाने की अनुमति होगी। इसके लिए कार्यालय प्रधान संबंधित कर्मियों को आई. कार्ड जारी करेंगे।

(F) सभी आवश्यक सेवा प्रदाताओं को घर से कार्य स्थल के आवागमन की अनुमति होगी।

7. विनिर्माण से संबंधित दुकानों के साथ सभी निर्माण कार्य गतिविधियों की अनुमति होगी।

8. सभी कृषि संबंधित दुकानों (कृषि सयंत्र एवं पटवन सहित) के साथ कृषि संबंधी सभी गतिविधियों की अनुमति होगी।

9. सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुसंधान/कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे। ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और इन्हें प्रोत्साहित की जायेगी।

10. सभी पूजा स्थल जनता के लिए बन्द रहेगा। कोई भी धार्मिक जमावड़ा/मंडली की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. सभी सामाजिक/राजनितिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृति कार्य/ गेदरिंग एवं पार्कों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। खेल परिसर एवं स्टेडियम खोलने की अनुमति होगी। जबकि दर्शकों की अनुमति नहीं दी जायेगी।

12. कोविड–19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति के तहत भारत सरकार के आदेश सं0–40–03/2020–**DM-1(A)** दिनांक–29.06.2020 लागू रहेंगे, जो इस प्रकार है :–

(i) कोविड–19 से बचाव हेतु सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थल एवं आवागमन के क्रम में लोगों को मुँह ढकना अनिवार्य होगा।

सभी सार्वजनिक स्थल पर सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यदि जिला प्रशासन/ पुलिस के द्वारा जाँच के क्रम में इसका उल्लंघन पाये जाने पर दोषी दुकान/वाहन/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का परिचालन बन्द करने हेतु दण्डात्मक कार्रवाई के साथ प्रतिष्ठान को बंद कर दिये जायेंगे। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी दोषियों पर कार्रवाई करते हुए अभिलेख को जिला विधि शाखा में उपलब्ध करायेंगे।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके अनुपालन हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, लखीसराय/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी अंचल पुलिस निरीक्षक/सभी थानाध्यक्षों का दायित्व होगा कि समय–समय पर जाँच/निरीक्षण कर उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषी दुकान/वाहन/ व्यवसायिक प्रतिष्ठान के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई हेतु अधिकृत होंगे।

(ii) सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम छः फीट की दूरी (02 गज की दूरी) की सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंगे। सभी दुकानों में ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने की जिम्मेवारी दुकानदारों की होगी।

(iii) बड़ी आम सभा/एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित होगा। शादी से संबंधित कार्यक्रम में अतिथि की संख्या 50 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अंतिम संस्कार/दाह संस्कार संबंधी कार्यक्रम में 20 लोग से ज्यादा की सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) सार्वजनिक स्थल पर थूकना दण्डनीय होगा। ऐसा करते पाये जाने पर राज्य सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरूप दण्डित किया जायेगां।

(v) सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का सेवन करना वर्जित होगा।

(vi) **Work From Home** को प्रोत्साहित किया जायेगा। संबंधित संस्थान इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

(vii)कार्यालय/कार्यस्थल/दुकान/बाजार एवं उद्योग तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अलग–अलग समय पर कार्य किये जाने की पद्धति का अनुपालन किया जायेगा। संबंधित संस्थान इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

(viii) सार्वजनिक आम स्थलों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश, सैनिटाईजर का उपयोग अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थान इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

(ix) सम्पूर्ण कार्य स्थल/सार्वजनिक सुविधा देय स्थलों में लोगों के सम्पर्क में रहने वाले स्थानों (दरवाजा, हैण्डल) पर कार्य शिफ्ट के दरम्यान नियमित रूप से सैनिटाईजेशन किया जायेगा। संबंधित संस्थान इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

Scanned with CamScanner

(x) सभी कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाये रखने हेतु शिफ्ट के बीच में पर्याप्त समय अंत दिया जायेगा एवं लंच ब्रेक में लोगों की भीड़ न हो इसे सुनिश्चित किया जायेगा। संबंधित संस्थान इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

13. उपरोक्त सभी रोकथाम संबंधी उपाय 16 दिनों के लिए दिनांक–16.07.2020 (गुरूवार) से दिनांक–31.07.2020(शुक्रवार) तक लागू रहेगी।

14. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कन्टेन्मेंट जोन से संबंधित निर्गत आदेश लागू रहेंगे।

15. यह आदेश कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम हेतु लखीसराय जिले में लागू रहेगा।

16. जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य गतिविधियाँ प्रतिबंध लगायी जा सकेगी।

17. कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु कमजोर/अति संवेदनशील लोगों की सुरक्षा :–

65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, वैसे लोग जो एक से अधिक रोग से ग्रसित हो, गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (उनके अभिभावकगण) को सलाह दी जाती है कि वे घर पर रहें (जरूरी और स्वास्थ्य मामले को छोड़कर)

*18.*आरोग्य सेतू एप का प्रयोग :–

(i) आरोग्य सेतू कोविड–19: कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को चिन्हित करता है एवं ढाल का कार्य करता है।

(ii) इसलिए संक्रमण से सुरक्षा के निमित्त सभी कार्य स्थल पर काम करने वाले कर्मीगण से अपेक्षा है कि अपने मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतू एप इन्स्टॉल करेंगे।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित निदेशों का अनुपालन एवं लागू कराया जायेगा। अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इसे लागू करायेंगे।

*19.*लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भा0द0वि0 की धारा–188 के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–51 से 60 के तहत कार्रवाई की जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय इसे सुनिश्चित करायेंगे।

उक्त आदेश का अनुपालन अनुमंडल दण्डाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखीसराय/सभी अंचल अधिकारी, लखीसराय/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद एवं नगर पंचायत, बड़हिया/सभी थानाध्यक्षों द्वारा सख्ती से सुनिश्चित करायेंगे।

20. लॉकडाउन के संबंध में जिले में व्यापक माईकिंग कराये जाने की जिम्मेवारी सिविल सर्जन, लखीसराय, नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद लखीसराय, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, बड़हिया, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखीसराय की होगी। खासकर नगर निकाय के नगर परिषद, नगर पंचायत तथा प्रखंडो के बाजार, हाट, मंडी इत्यादि स्थलों पर विशेष रूप से माईकिंग के माध्यम से जागरूक करेंगे।

21. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, लखीसराय/कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, बड़हिया उपरोक्त अवधि में वृहद कार्य योजना तैयार कर सेनिटाईजेशन का कार्य सम्पादित करायेंगे तथा अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार भी करायेंगे।

22. सभी संबंधित थाना प्रभारी उपरोक्त आदेश का शतप्रतिशत अनुपालन करायेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद लखीसराय, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, बड़हिया, थानाध्यक्ष, अपने–अपने क्षेत्र में माईकिंग व्यवस्था के साथ भ्रमणशील रहेंगें तथा उपरोक्त लॉकडाउन आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।

अनुमंडल दण्डाधिकारी, लखीसराय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय विधि–व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा उपरोक्त आदेश का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करायेंगे।

ह0/-
पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक 1533 /गो0, लखीसराय, दिनांक :– 15.07.2020

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, लखीसराय/अपर समाहर्त्ता, लखीसराय/सिविल सर्जन, लखीसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय/जिला भू–अर्जन पदा0/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/जिला जन संपर्क पदाधिकारी, लखीसराय/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,ICDS/कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, बड़हिया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, लखीसराय एवं अन्य सभी जिलास्तरीय/अनुमंडल स्तरीय कार्यालयों के नियंत्री पदाधिकारियों/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, समाहरणालय, लखीसराय/प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लखीराय/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय/सभी अभियंत्रण विभाग, लखीसराय/ मोटरयान निरीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखंड सहकारिता पदा0/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लखीसराय/सभी कार्यकम पदाधिकारी, मनरेगा, लखीसराय/सभी थानाध्यक्ष, लखीसराय जिला/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय/सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/पुलिस महानिरीक्षक, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/पुलिस उप–महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

जिला दण्डाधिकारी
लखीसराय।